

**बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग**

कार्यालय आदेश - 35

का०आ०सं०- निग/सारा-01 (पथ) आरोप-36/2021

पटना, दिनांक 27/12/25

श्री तारकेश्वर साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या-02, बिहारशरीफ के पथ प्रमंडल, जमुई पदस्थापन काल में नाबार्ड योजनान्तर्गत लक्ष्मीपुर-जिनहारा-धमना-झाझा पथ के निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता संबंधी एकमात्र आरोप के लिए विभागीय पत्राक-457 (एस) दिनांक 15.01.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होंने पत्रांक-शून्य, दिनांक 23.08.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-136-सहपठित ज्ञापांक-6762 (ई०) दिनांक 06.10.2021 के द्वारा श्री साह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आरोप का एकमात्र बिन्दु निम्नवत् है :-

“ पथ के 10वें एवं 21वें कि०मी० में कराये गये **BM Gr.-II** कार्य में प्रयुक्त अलकतरा के औसत मान क्रमशः 2.57% एवं 2.54% पायी गयी है। पूरे पथ के लिए अलकतरा की औसत मान **BM Gr.-II** 2.56% पायी गयी है, जो प्राक्कलन में प्रावधानित अलकतरा की मात्रा 3.3% के लिए विभागीय **Tolerance Limit (2.94)** से कम है।”

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1409 अनु०, दिनांक 29.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री साह के विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित होने संबंधी मंतव्य गठित किया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक-7544 (ई०) दिनांक 04.12.2023 के द्वारा उनसे लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। श्री साह ने पत्रांक-शून्य, दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अपना द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

3. श्री साह ने अपने द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर में पथ की गुणवत्ता जाँच में **TRI** द्वारा गलत विधि का प्रयोग किये जाने को मुख्य आधार बनाया है, साथ ही उन्होंने अंकित किया है कि अगर **TRI** द्वारा गुणवत्ता की जाँच सही विधि से की गयी होती तो जाँच प्रतिफल **Tolerance Limit** से अधिक आता। श्री साह के उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य की मांग की गयी, जिसमें उनके **Testing के Method** संबंधी तर्क को समिति के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता जाँच में स्पष्ट रूप से अलकतरा का औसत मान निर्धारित **Tolerance Limit** से कम पायी गयी है, जिसके संबंध में श्री साह ने कोई ठोस साक्ष्यगत बचाव का तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनके द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर को स्वीकृत किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

क०पृ०उ०

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री तारकेश्वर साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या-02, बिहारशरीफ के द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध प्रमाणित पाये गये एकमात्र आरोप के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के क्रमशः नियम 14 (i) एवं 14 (ii) के तहत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) आरोप वर्ष 2015 के लिए "निन्दन"।

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्रोन्नति पर रोक।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- निग/सारा-01 (पथ) आरोप-36/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या-02, बिहारशरीफ/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2/3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री तारकेश्वर साह, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या-02, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/-

सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
/पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- निग/सारा-1 (पथ) आरोप-36/2021-

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-01 (पथ) आरोप-36/2021- 1577 ९ पटना, दिनांक 27.12.25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Anil
25.02.25